(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)

राजस्थान–सरकार

फसल कटाई प्रयोग

सम्पादन एवं निरीक्षण मार्गदर्शिका

प्रबोधन एवं मूल्यांकन अनुभाग

कृषि सूचना, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर

प्रस्तावना

कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा कृषि विस्तार कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु फसल कटाई प्रयोग सम्पादित किए जाते हैं। इनसे प्राप्त कृषि सांख्यिकी के समंकों का उपयोग विभाग द्वारा बनाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं व कृषि तकनीकी में किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन अत्यन्त सावधानीपूर्वक एवं विधिवत प्रक्रिया से ही पूर्ण किया जावे जाकि त्रुटिरहित समंक उपलब्ध हो सकें।

प्रस्तुत मार्गदर्शिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि कृषि पर्यवेक्षकों को फसल कटाई प्रयोग सम्पादन में होने वाली सामान्य त्रुटियों से अवगत कराया जा सके तथा निरीक्षण अधिकारियों द्वारा भी फसल कटाई प्रयोगों का प्रभावी ढंग से निरीक्षण किया जा सके। कृषि पर्यवेक्षेकों एवं निरीक्षण अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस मार्गदर्शिका को भली भाँति अध्ययन कर तदानुसार समस्त कार्य सम्पादित करेंगे ताकि समय पर समंकों का उपयोग किया जा सके।

इस मार्गदर्शिका को तैयार करने में एल.एन.कुमावत, अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार), डॉ. हुशियार सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि (प्रबोधन एवं मूल्यांकन) व उनके अधिनस्थ कार्य कर रहे अधिकारी एल.एन.शर्मा, ओ.पी.बैरवा, आर.आर.गुर्जर, सी.पी.जैन एवं ममता औला द्वारा किया गया परिश्रम प्रशंसनीय है।

आशा है कि कृषि विभाग के फील्ड स्टॉफ के लिए यह मार्गदर्शिका अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगी।

(डॉ. नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव कृषि
राजस्थान, जयपुर

जयपुर
मई, 2016

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	उद्देश्य	1
2.	फसल कटाई प्रयोग सम्पादन एवं निरीक्षण हेतु विभागीय स्टॉफ	1
3.	विधि	2–4
4.	फसल कटाई प्रयोग हेतु आवश्यक सामग्री	4
5.	विभिन्न फसलों हेतु निर्धारित प्लाट की माप	4
6.	फसल कटाई प्रयोग के मुख्य बिन्दु	4–9
7	चयनित फसल न होन से संबंधित विभिन्न परिस्थितियां	9–10
8.	कदमों से खेत का क्षेत्रफल निकालना	10
9.	फसल कटाई प्रयोग अंतर्गत आने वाली समस्याएं एवं उनका निदान	10–11
10.	निर्धारित नमूना सर्वेक्षण प्रपत्रों की पूर्ति करना (प्रपत्र 1:1)	11–13
11.	निर्धारण नमूना सर्वेक्षण प्रपत्रों की पूर्ति करना (प्रपत्र 1:2)	13–16
12.	निरीक्षण अधिकारियों हेतु दिशा–निर्देश	17–18
13.	फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन एवं निरीक्षण के कार्य को प्रभावी एवं गतिशील बनाने हेतु आवश्यक बिन्दुः–	18–19
14.	रेण्डम टेबिल का प्रयोग	20–26
15.	प्रपत्र 1:1 एवं 1:2	27–32

कृषि विभाग में फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन

1. उद्देश्यः–

राजस्थान राज्य के कृषि विभाग द्वारा मूल्यांकन सर्वे के अन्तर्गत विभागीय फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन वर्ष में खरीफ एवं रबी मौसम की मुख्य–मुख्य फसलों पर किया जाता है। इसका उद्देश्य कृषि विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में जो कृषि संबंधी नवीनतम तकनीकी ज्ञान दिया जाता है, उसे अपनाने से लाभान्वित कृषकों एवं अन्य कृषकों के उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है, इसका अध्ययन रेण्डम विधि से चयनित कृषकों के खेतों पर मुख्य–मुख्य फसलों पर फसल कटाई प्रयोग सम्पादित कर किया जाता है।

2. फसल कटाई प्रयोग सम्पादन एवं निरीक्षण हेतु विभागीय स्टॉफः–

फसल कटाई प्रयोग का सम्पूर्ण कार्य कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा सम्पादित किया जाता है। चयनित कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा चयनित एक लाभान्वित कृषक एवं एक अन्य कृषक के यहां दो–दो फसलों पर फसल कटाई प्रयोग सम्पादित कराए जाते हैं। निरीक्षण कार्य हेतु विभिन्न स्तर पर निम्नानुसार व्यवस्था की गई हैः–

क्र.सं.	निरीक्षण स्तर	पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निरीक्षण कार्य
1.	राज्य स्तर से	आयुक्तालय में पदस्थापित प्रबोधन एवं मूल्यांकन शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण कर प्रगति प्रस्तुत करते हैं।
2.	सम्भाग स्तर से	संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) उप निदेशक कृषि (सांख्यिकी) कृषि अधिकारी (प्रबोधन) सहायक सांख्यिकी अधिकारी
3.	जिला स्तर से	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) सहायक निदेशक कृषि (सांख्यिकी)/सांख्यिकी अधिकारी
4.	उपजिला स्तर से	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कृषि अधिकारीगण सहायक कृषि अधिकारीगण कृषि अन्वेषक

उपजिला स्तर पर पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारियों हेतु आयुक्तालय से निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार निरीक्षण कार्य किया जाता है। जिला स्तर पर पदस्थापित उपनिदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा सम्बन्धित जिले में आकस्मिक निरीक्षण किया जा कर जिले से संबंधित निरीक्षण टिप्पणी आयुक्तालय को भिजवाई जाती है। सम्भाग स्तर पर अधिकारियों द्वारा सम्भागीय क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है ताकि फसल उत्पादन संबंधी आंकड़ों की गुणवत्ता बनाई रखी जा सके और दोषी/लापरवाह पाए जाने वाले अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

3. विधिः–

फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन हेतु तीन स्तरीय चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है। जिसमें पहले ग्राम का चयन करते हैं। ग्राम के चयन के बाद ग्राम में कृषक का चयन करते हैं। अन्त में कृषक के खेतों में चयनित फसल हेतु खेत का चयन किया जाता हैं। चयन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण निम्नानुसार दिया गया हैः–

(अ) ग्राम का चयनः–

संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड की प्रबोधन एवं मूल्यांकन शाखा द्वारा प्रत्येक फसल मौसम में अपने अधीनस्थ समस्त कृषि उप जिला कार्यालयों को अलग–अलग एक रेण्डम कॉलम का आवंटन किया जाता है। कृषि उपजिला कार्यालय में पदस्थापित कृषि अन्वेषक उक्त रेण्डम कॉलम के आधार पर रेण्डम पद्धति से 50 ग्रामों का चयन करता है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम कृषि उपजिले के समस्त सहायक कृषि अधिकारियों के मुख्यालयों को हिन्दी वर्णमाला के अनुसार क्रम से लिखा जाता है तथा फिर प्रत्येक सहायक कृषि अधिकारी के अधीन आने वाले कृषि पर्यवेक्षकों के मुख्यालयों को भी हिन्दी वर्णमाला के अनुसार क्रम से लिखा जाता है। अन्त में प्रत्येक कृषि पर्यवेक्षक वृत की ग्राम पंचायतों को हिन्दी वर्णमालानुसार बढ़ते क्रम में रखते हुए इसी क्रमानुसार ग्रामों को बढ़ते हुए क्रम में रख कर ग्राम का चयन किया जाता है।

उदाहरणः– मान लीजिये शाहपुरा उपखण्ड़ में सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र अमरसर हिन्दी वर्णमाला के अनुसार प्रथम क्रमांक पर आता है। उसके कृषि पर्यवेक्षकों, ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों को निम्न प्रकार लिखा जावेगा। इसी प्रकार अगले क्रमांक पर आने वाले सहायक कृषि
अधिकारियों एवं उनसे संबंधित कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालयों को अंकित कर बढ़ते हुए क्रम में संख्या अंकित की जावेगी।

क्र सं.	सहायक कृषि अधिकारी मुख्यालय	कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय	ग्राम पंचायत मुख्यालय	ग्रामों का नाम
1.	अमरसर	1 अमरसर	1 अमरसर	1 अमरसर 2 पटेल नगर 3 पठानों का बास
		2 करीरी	2 करीरी	4 करीरी 5 कलवानियों का बास
		3 नायन	3 नायन	6 नायन 7 त्रिलोकपुरा
		4 बिलान्दरपुर	4 बिलान्दरपुर	8 बिलान्दरपुर 9 चकहनुतपुरा
		5 हनुतपुरा	5 हनुतपुरा	10 जोधपुरा 11 हनुतपुरा
2.	आंधी	6 आंधी	6 आंधी	12 आंधी, 13 .....
		7.....	7.....	14 ..... 15.....
		8.....	8.....	16..... 17.....
		9.....	9.....	18..... 19.....

अब उससे उपजिले में चयनित अंतिम कृषि पर्यवेक्षक के अंतिम ग्राम संख्या के बराबर या उससे कम संख्या के रेण्डम नम्बर में से ग्रामों का चयन किया जावेगा। इस कार्य हेतु 3 अंको की रेण्डम टेबिल का ही उपयोग किया

जावेगा तथा इस बात का ध्यान रखा जावेगा कि एक कृषि पर्यवेक्षक वृत में केवल एक ग्राम का ही चयन किया जावे।

हिन्दी वर्णमालाः–

स्वर				
अ	आ	इ	ई	उ
ऊ	ऋ	ए	ऐ	ओ
औ	अं	आः		
व्यंजन				
क	ख	ग	घ	ङ
च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण
त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म
य	र	ल	व	
श	ष	स	ह	
क्ष	त्र	ज्ञ		

For more presentations, tutorials, worksheets and resources visit www.languagenet.com

(ब) कृषकों का चयनः–

लाभान्वित कृषकों एवं अन्य कृषकों का चयन करने हेतु चयनित ग्राम से संबंधित कृषि पर्यवेक्षक उक्त ग्राम के समस्त लाभान्वित कृषकों एवं अन्य कृषकों की सूची हिन्दी वर्णमाला के अनुसार अलग–अलग तैयार कर कृषि अन्वेषकों को उपलब्ध करावेंगे। सूची प्राप्त होते ही कृषि अन्वेषक रेण्डम कॉलम के आधार पर रेण्डम विधि द्वारा कृषकों का चयन करेंगे। संबंधित ग्राम के लाभान्वित कृषकों का चयन करने के बाद ही अन्य कृषकों का चयन किया जावेगा तथा चयनित कृषकों के नाम उपजिले की मासिक बैठक जनवरी/अगस्त में कृषि पर्यवेक्षकों को कृषि अन्वेषक द्वारा बताए जावेंगे। कृषि पर्यवेक्षक चयनित कृषकों के ही फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन करेंगे।

लाभान्वित कृषकः– चयनित ग्राम का वह कृषक जो गत वर्ष कृषि विभाग की किसी भी योजना से लाभान्वित हुआ है, वह कृषक लाभान्वित कृषक कहलायेगा।

अन्य (अलाभान्वित) कृषक :– चयनित ग्राम का वह कृषक जो गतवर्ष कृषि विभाग की किसी भी योजना से लाभान्वित नहीं हुआ है, वह कृषक अन्य (अलाभान्वित) कृषक कहलायेगा।

(स) खेत का चयनः–

फसल कटाई प्रयोग हेतु खेत का चयन एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। खेत के चयन हेतु चयनित कृषक के चयनित फसल के जितने खेत हैं, उनके उपलब्ध खसरा नम्बर को बढ़ते क्रम में, खसरा नम्बर उपलब्ध नहीं होने पर खेतों के प्रचलित नामों की हिन्दी वर्णमाला के अनुसार सूची बनाई जावे तथा कुल खेतों की संख्या का भाग उपजिले द्वारा आवंटित 3 अंको वाली रैण्डम संख्या में दिया जावे। इस प्रकार भाग देने के बाद शेष बचने वाली संख्या के क्रम वाले खेत का चयन फसल कटाई प्रयोग हेतु किया जावेगा। यदि शेष 0–0 बचता हे तो सूची में

वर्णित अंतिम संख्या वाले खेत का चयन कर लिया जावेगा। यदि खेत के खसरा नम्बर एवं प्रचलित नाम दोनों ही उपलब्ध ना हो तो खेत का चयन करने के लिए चयनित ग्राम के दक्षिणी पश्चिमी कोने के निकटस्थ दूरी वाले खेत को प्रथम क्रम तथा शेष खेतों को घड़ी की विपरीत दिशा अनुसार (Anti clockwise) बढ़ते क्रम में सूचीबद्ध किया जावेगा।

उदाहरणः– मान लीजिए चयनित कृषक श्री राम लाल के फसल बाजरा में दो खेत हैं तथा आवंटित रेण्डम संख्या 359 है। खेतों के नामों को निम्नानुसार हिन्दी वर्णमाला में लिखा जावेगा।

1. खेजड़े वाला खेत
2. बबूल वाला खेत

आवंटित रेण्डम संख्या 359 में कुल खेतों की संख्या का भाग देने पर शेष संख्या एक बचती है। अतः एक क्रम संख्या वाला (खेजडेवाला) खेत फसल कटाई प्रयोग हेतु चयन किया जावेगा।

4 फसल कटाई प्रयोग हेतु आवश्यक सामग्रीः

1. नाप हेतु फीता (30 मीटर)
2. लोहे की खूंटिया (लम्बी) 4 नग
3. निर्धारित लम्बाई की रस्सी (25 से 30 मीटर)
4. तराजू व बाट (10 ग्राम तक)
5. रेण्डम नम्बर की तालिका
6. सुखाई हेतु उपज रखने के लिए थैला
7. फार्म संख्या 1:1 व 1:2

5 विभिन्न फसलों हेतु निर्धारित प्लाट की मापः

1. गेहूं, चना, जौ, सरसों, बाजरा, मूंग, मौठ, उडद, चौला, ग्वार, मूंगफली एवं तिल आदि के लिए 5 मीटर गुणा 5 मीटर (अर्थात 1/400 हैक्टेयर)
2. कपास के लिए 10 मीटर गुणा 5 मीटर (अर्थात 1/200 हैक्टेयर)

6 फसल कटाई प्रयोगों के मुख्य बिन्दुः

6.1 प्रयोग सम्पादनः

(अ) खेत की स्थिति आयताकार न हो तो काल्पनिक सीमाएं बनाना

(ब) खेत के दक्षिणी पश्चिमी कोने का चयन

(स) रेण्डम जोड़ों का चयन

(द) रेण्डम जोड़ों का निरस्तीकरण या रद्द करना

6.2 प्लाट का निर्धारण

(अ) सभी फसलों हेतु (कपास को छोड़कर) प्लाट का निर्धारण

(ब) कपास की फसल के लिए प्लाट का निर्धारण

6.3 फसल की कटाई

6.4 गीले दानों का तौल

6.5 सूखे दानों का अन्तिम तौल

उपरोक्त वर्णित प्रमुख बिन्दुओं का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

6.1 प्रयोग सम्पादनः–

(अ) खेत की स्थिति आयताकार न हो तो काल्पनिक सीमांए बनानाः–

प्लाट बनाने के लिए खेत का आकार आयताकार होना चाहिये। अतः यदि खेत का आकार आयताकार नहीं है तो उसे काल्पनिक रूप से आयताकार बनाया जावेगा।

उदाहरणः–

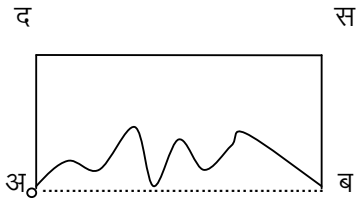

दक्षिणी पश्चिमी काल्पनिक कोना,

(ब) खेत के दक्षिणी पश्चिमी कोने का चयनः–

प्लाट बनाने के लिए सर्वप्रथम दक्षिणी पश्चिमी कोने का चयन किया जाता है। कोने का चयन करने के लिए उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके इस प्रकार खड़े हों कि खेत आपके सामने एवं दाहिने हाथ की तरफ रहे अर्थात खेत की एक भुजा आपके सामने और दूसरी भुजा दाहिने हाथ की तरफ रहे। जहां आप खड़े हैं यह कोना खेत का दक्षिणी–पश्चिमी कोना होगा। यही कोना आपके प्रयोग सम्पादन हेतु प्रारम्भिक बिन्दु होगा। अगर खेत की भुजाएं ठीक उत्तर – दक्षिण और पूर्व – पश्चिमी की ओर न हो तो आरम्भ का कोण मालूम करने के लिए लगभग उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर उपरोक्त प्रक्रिया अपना कर प्रारम्भिक बिन्दु ज्ञात करें।

(स) रेण्डम जोड़ों का चयनः–

खेत के चयन के पश्चात् खेत की लम्बाई व चौड़ाई सिंगल (एकल) कदमों में नापी जाती है। खेत की लम्बी भुजा को लम्बाई व खेत की छोटी भुजा को खेत की चौड़ाई माना जाता है।

कदम सिंगल होने चाहिये। इस प्रकार प्राप्त लंबाई व चौड़ाई के कदमों में से 7–7 कदम घटाएं जिससे प्लाट खेत की सीमा में ही बने। रेण्डम जोड़ों का चयन करने के लिए तीन अंको वाली संख्या के लिये – तीन अंको वाले रेण्डम कॉलम एवं दो अंको वाली संख्या के लिये – दो अंको वाले रेण्डम कॉलम का चयन किया जावेगा। रेण्डम नम्बर 00 का चयन होने पर प्लाट का निर्माण प्रारंभिक बिन्दु से ही किया जायेगा।

उदाहरणः–

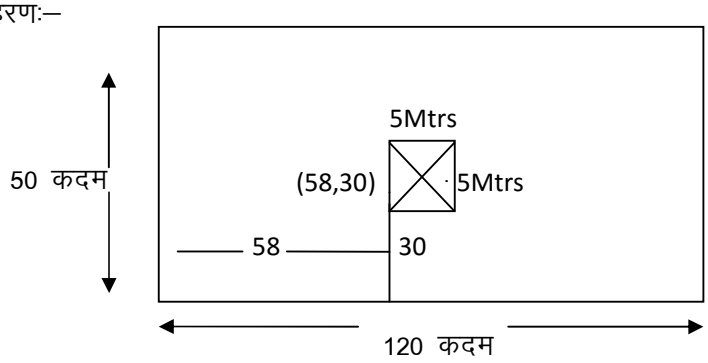

उपरोक्त खेत की लम्बाई 120 कदम एवं चौड़ाई 50 कदम है। अतः नियमानुसार 7–7 कदम घटाने पर :–

लम्बाई – 120–7=113

चौड़ाई–50–7=43

अब मान लीजिये रेण्डम टेबिल का कॉलम नंबर – 1 आवंटित है। अतः लंबाई के लिए तीन अंकों की रेण्डम टेबिल देखी जावेगी। रेण्डम जोड़ों के चयन में संख्या या तो कदमों की संख्या के बराबर या कम होना चाहिये अधिक नहीं। रेण्डम जोड़े के चयन में पहले लम्बाई की संख्या, फिर चौड़ाई की संख्या का चयन कि जावे। रेण्डम टेबिल का प्रयोग करने पर तीन अंक के कॉलम नं. 1 में लम्बाई में 3 अंक 113 के लिये 058 व चौड़ाई के 2 अंक 43 के लिए 30 का चयन किया जावेगा। रेण्डम टेबिल का प्रयोग बढ़ते क्रम में किया जावे तथा एक कॉलम समाप्त होने पर अगले कॉलम का उपयोग लिया जावेगा। ध्यान रहे कि कदमों में से 7–7 कदम घटाने के बाद शेष बचने वाली संख्या के आधार पर ही रेण्डम टेबिल के कॉलमों का चयन किया जावे अर्थात् यदि खेत की लम्बाई 3 अंकों में है लेकिन 7 कदम घटाने के बाद यदि शेष संख्या 2 अंकों की बचती है तो 2 अंकों वाले रेण्डम कॉलम का ही चयन किया जावे।

(द) रेण्डम जोड़ों का निरस्तीकरण या रद्द करनाः–

यदि चयनित रेण्डम जोड़ों से 5 गुणा 5 मीटर के प्लाट का निर्धारण खेत के अंदर सम्भव नहीं हो तो सम्पूर्ण जोड़े को रद्द किया जावेगा। केवल लम्बाई या चौड़ाई के जोड़े में से किसी एक संख्या को रद्द नही किया जावेगा। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक कारणों के कारण जैसे खेत में चट्टान, बावड़ी आदि आ जावे तो भी रेण्डम जोड़े रद्द किए जाते हैं। इस प्रकार जोड़ा रद्द होने पर पुनः उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा जोड़ा तब तक चयन किया जाता है जब तक कि प्लाट का निर्माण खेत के अंदर नहीं हो जावे।

6.2 प्लाट का निर्धारण :–

(अ) सभी फसलों हेतु (कपास को छोड़कर) प्लाट का निर्धारणः–

प्लाट का निर्माण करने के लिए आप चयनित रेण्डम जोड़ों का ही उपयोग करेंगे। सर्वप्रथम खेत के दक्षिणी पश्चिमी कोने से खेत की लम्बाई की तरफ कदम चलेंगे और फिर चौड़ाई की और कदम चलकर प्रथम खूंटी लगा देंगे। यह कोना प्लाट का दक्षिणी –पश्चिमी कोना कहलायेगा। अब प्रथम खूंटी पर एक व्यक्ति को

फीते का 0 मीटर देकर खड़ा कर देंगे तथा दूसरे व्यक्ति को लम्बाई की और बढ़ाकर 5 मीटर पर दूसरी खूंटी लगा देंगे। बाकी दो खूंटी लगाने के लिए फीते को 12.07 मीटर तक खोलकर दूसरी खूंटी पर खड़े व्यक्ति को फीते का 12.07 मीटर चिन्ह पकड़वा देंगे। अब तीसरा व्यक्ति फीते की नाप 7.07 मीटर (कर्ण) लेकर दूसरी खूंटी की सीध में बढ़ेगा तथा फीता कसकर तान लेगा व तीसरी खूंटी लगा देगा। अब वही तीसरा व्यक्ति 5 मीटर फीता लेकर पहली खूंटी की सीध मे बढ़ेगा व फीता कसकर तान लेगा तथा चौथी खूंटी लगा देगा। इस प्रकार प्लाट का निर्माण होगा।

उदाहरण :–

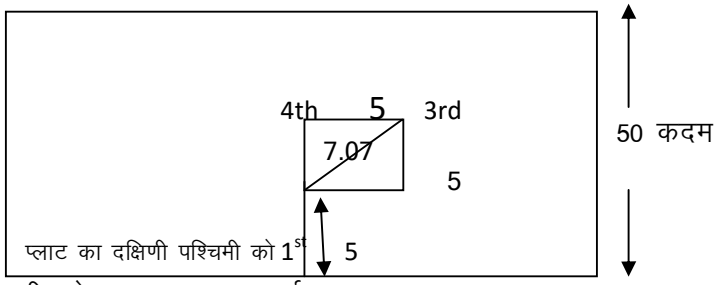

(ब) कपास की फसल के लिए प्लाट का निर्धारणः–

कपास के लिए प्लाट 10 मीटर गुणा 5 मीटर (1/200 हैक्टेयर) का बनाया जाता है। इसमें लम्बाई के कदमों में से 13 एवं चौड़ाई के कदमों में से 7 घटाये जाते हैं और जो शेषफल बचता है उसके बराबर या उससे कम की रेण्डम संख्या देखकर प्लाट के दक्षिणी पश्चिमी कोने को निर्धारित किया जाता है। इसमें कर्ण 11 मीटर 18 सेन्टीमीटर का होना चाहिये। पूर्ण प्रक्रिया उपरोक्तानुसार ही अपनाई जाती है। कर्ण 7.07 के स्थान पर 11.18 मीटर का ही लेना पड़ता है।

6.3 फसल की कटाईः–

कटाई कार्य करने से पूर्व प्लाट को पुनः नापें। यदि फसल बड़ी है तो प्लाट के आसपास की फसल कटवा कर नाप की जावे। कटाई के पूर्व प्लाट की खूंटियों के चारों ओर रस्सी ड़ाल दी जावे जो पौधे प्लाट की सीमा पर आते हैं, उन्हें काटने के लिए आधे पौधे प्लाट के अन्दर व आधे बाहर माने जावें। रबी की फसल में कटाई के बाद उपज की पूली बनाकर रखा जावे व उनकी संख्या दर्ज की जावे। प्रत्येक पूली पर अलग से पहचान बना ली जावे। पूलियों को सुखाई के लिए रख दिया जावे। खरीफ की फसल में सिट्टों/भुट्टों का वजन किया जावेगा तथा उनकी संख्या गिन कर उनको थैले में भरा जावेगा तथा कपास की फसल हेतु चुनाई की तारीख व तौल किलोग्राम में प्रपत्र संख्या 1:2 में दिए गए कॉलम नम्बर–42 के अनुसार इन्द्राज किया जावे।

6.4 गीले दानों का तौलः–

विभिन्न फसलों हेतु गीले दानों का तौल कब व किस स्थिति में लिया जावे, इनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

(अ) खरीफ अनाज फसलेंः–

खरीफ अनाज की जिन्स (ज्वार, बाजरा व मक्का) के केवल भुट्टे/सिट्टे ही एक इंच तक के डन्ठल रख कर काटे जाते हैं। बाजरा एवं ज्वार के सिट्टे गिन कर तौल लिये जावें तथा मक्का के भुट्टों के ऊपरी छिलकों को हटा कर व बाल साफ करके गिना जावे व तौल लिया जावे। भुट्टों/सिट्टों को गिनकर व तौल कर थैले में भर दिया जावे तथा थैले पर लेबिल लगाकर सील कर दिया जावे। लेबिल पर कृषक का नाम, कटाई की दिनांक व भुट्टों/सिट्टों की संख्या व वजन अंकित कर दिया जावे तथा उपस्थित कृषि पर्यवेक्षक व अन्य अधिकारी उस पर अपने हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें। थैले को संबंधित कृषक या अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति की देखरेख में रखा जावे तथा यह हिदायत दी जावे कि इन थैलों को लगभग 15 दिवस तक प्रतिदिन धूप मे रख कर सुखाया जावेगा। 15 दिन तक भुट्टों/सिट्टों को सुखाने के बाद भुट्टों/सिट्टों को पुनः गिना जावे तथा तौला जावे। तदोपरान्त दाने निकाल कर बोरी या टाट पर आवश्यकतानुसार सुखाया जावे। दानों का तौल ले लिया जावे। यह तौल गीले दानों का तौल कहलावेगा।

(ब) रबी खाद्यान्न एवं तिलहनी फसलेंः–

रबी की जिन्सों (गेहूं, जौ, चना व सरसों आदि) को काटने के बाद आवश्यकतानुसार धूप में सुखा लिया जावे एवं इसके पश्चात् दानों को लकड़ी के डंडे की सहायता से कूट कर निकाल लिया जावे। यह ध्यान रहे कि कोई भी दाना फलियों में शेष नहीं रह जावे। दाने निकालने के बाद उन्हें छान कर या छाजले से फटक कर साफ कर लिया जावे तथा इन गीले दानों का तौल ले लिया जावे।

(स) मूंगफलीः–

मूंगफली के निर्धारित 5 मीटर गुणा 5 मीटर के प्लाट की खुदाई करते समय सीमा पर खड़े पौधों का यदि आधे से अधिक भाग प्लाट के अन्दर आता है तो उसे प्लाट की कटाई में सम्मिलित किया जावे। यदि सीमा पर ऐसे पौधे हो जिनका ठीक आधा ही भाग प्लाट के अंदर आता हो तो एकान्तर पर पौधों को प्रयोग के लिए लिया जाना चाहिए। फैलने वाली किस्म में उन समस्त पौधों की खुदाई करनी चाहिए जिनकी ऊपर की जड़ें प्लाट के अंदर आती है तथा सीमा पर पडने वाली जड़ों को एक छोडकर एक लेकर प्रयोग करना चाहिए गीली मूंगफली का तौल लेने से पूर्व उस पर चढ़ी मिट्टी को अच्छी प्रकार से साफ कर लेना चाहिये।

6.5 सूखे दानों का अन्तिम तौलः–

सुखाई का अनुमान निकालने के लिए विभिन्न फसलों के लिए सुखाई प्रयोग किए जाते हैं जिनका विवरण निम्नप्रकार हैः–

(अ) खरीफ अनाज हेतु :–

खरीफ खाद्यान्न के अंतर्गत ज्वार, बाजरा व मक्का के गीले दानों का तौल लेने के उपरान्त 7 दिवस तक दानों को सुखाया जाता है तथा 7 दिन तक सुखने के बाद सुखे दानों का तौल ले लिया जाता है। यह अन्तिम तौल कहलाता है।

(ब) रबी खाद्यान्न एव तिलहन फसलें :–

रबी की प्रमुख फसलों जैसे गेंहू, जौ, चना एवं सरसों की फसल में प्रयोग सम्पादन के अंतर्गत गीले दानों का तौल लेने के उपरान्त दानों को थैले में भरकर सील कर दिया जावे तथा संबंधित कृषक या ग्राम के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की देखरेख में सूखाने के लिए रखा जावे। 15 दिन तक प्रतिदिन धूप में रख कर सुखाया जावे तथा पूर्णतया सुखने के पश्चात् दानों का पुनः तौल ले लिया जावे। यह अनाज का अन्तिम तौल होगा।

(स) खरीफ दलहन एवं तिलहन (मूंग, मौठ, उडद, चौला, ग्वार व तिल):–

दलहनीय फसलों जैसे मूंग, चौला, ग्वार, मौठ आदि में कटाई करते समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि जिन किस्मों में सम्पूर्ण फसल एक साथ नहीं पकती है उनमें फलियों की चुनाई (पीकिंग) की आवश्यकता होने पर फलियों को समय–समय पर तोड़ कर एक थैले में कृषक के पास सुरक्षित रखवा दिया जावे तथा सम्पूर्ण फसल की कटाई होने के बाद दाना निकाल लिया जावे व तौल लिया जावे। यह दानों का गीला तौल होगा। इसी प्रकार तिलहनी फसल (तिल) में भी उपरोक्त विधि अपनाई जावे। गीले दानों को 15 दिन तक सुखा कर इनका तौल कर लिया जावे। यह अन्तिम तौल होगा।

(द) कपास फसलः–

कपास की फसल हेतु अलग–अलग तारीखों पर की गई चुनाई की उपज को एकत्रित कर सुखाई के बाद एक साथ तौल कर लिया जावे।

(य) मूंगफली की फसलः–

मूंगफली को गूली सहित ही 15 दिन तक सूखा कर अन्तिम तौल लेना चाहिए।

7. चयनित फसल न होने से संबंधित विभिन्न परिस्थितियॉः

(अ) चयनित कृषक के यहां एक फसल का न होनाः–

यदि चयनित लाभान्वित कृषक अथवा अन्य कृषक के यहां आवंटित दोनों फसलों में से एक फसल नहीं है तो ऐसी अवस्था में यह देखना आवश्यक है कि चयनित कृषक के यहां कौन सी फसल है। यदि आवंटित फसलों में से एक फसल चयनित कृषक के यहां है तो उस फसल में प्रयोग किया जावे तथा दूसरी फसल के लिए कृषकों की सूची में से आगे के नम्बर के कृषक का चयन किया जावे।

(ब) चयनित कृषक के यहां दोनों फसलों का न होनाः–

यदि कृषक के यहां दोनों ही आवंटित फसलें न हो तो ऐसी अवस्था में कृषक सूची में से आगे के नम्बर के कृषक का चयन किया जावेगा।

(स) चयनित ग्राम में एक फसल का न होनाः–

यदि आवंटित फसलों में से एक फसल चयनित ग्राम में नहीं है तो उपरोक्त 7(अ) में बताई गइ प्रक्रिया का अनुसरण किया जावेगा।

(द) चयनित ग्राम में दोनों फसलों का न होनाः–

_यदि आवंटित दोनों फसलें चयनित ग्राम में नहीं है तो आगे के नम्बर के ग्राम का चयन किया जावेगा किन्तु चयनित कृषकों के नम्बर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

8. कदमों से खेत का क्षेत्रफल निकालनाः–

5 मीटर को लगभग 7 कदम के बराबर माना जाता है तथा 10 मीटर को लगभग 13 कदम के बराबर माना जाता है। इस प्रकार 100 मीटर में 130 कदम हुए। अतः यदि खेत का क्षेत्रफल निकालना हो तो लम्बाई एवं चौड़ाई के कदमों को गुणा करेंगे तथा 16900 का भाग देंगे जिससे खेत का अनुमानित क्षेत्रफल हैक्टेयर में आ जावेगा।

उदाहरणः–

अतः क्षेत्रफल = $\frac{210 \times 49}{16900}$ = 0.5 हैक्टर(अनुमानित)

फसल कटाई प्रयोग अंतर्गत आने वाली समस्याएं एवं उनका निदानः–

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	रबी फसलों के फसल कटाई प्रयोगों की गहाई हेतु न्यूनतम व अधिकतम अवधि क्या है ?	रबी फसलों में गहाई के लिए दिनों की संख्या निर्धारित नहीं है। जिस दिन भी जिन्स में दाने निकालने संभव हो, उसी दिन गहाई की जा सकती है।
2.	प्लाट बनाने के लिए लंबाई व चौड़ाई के कदमों में से 7–7 क्यों घटाये जाते हैं ?	7 कदम इसलिए घटाए जाते हैं क्योंकि 7 कदमों को लगभग 5 मीटर के बराबर माना जाता है।
3.	क्या रेण्डम जोड़ा 0 – 0 प्राप्त होने पर जोड़े को रद्द कर दिया जाना चाहिए ?	नहीं। ऐसी स्थिति में प्लाट का निर्धारण दक्षिणी पश्चिमी कोने से ही प्रारम्भ हो जावेगा।
4.	प्लाट के बनाने के लिए खेत का दक्षिणी पश्चिमी कोना ही क्यों लिया जाता है ?	निर्देशांक ज्यामिती के अंतर्गत लेखाचित्र में चार पाद (क्वारडेन्ट) होते हैंः– – + | + + – – | + – X अक्ष एवं Y अक्ष के प्रथम पाद में X व Y के निर्देशांक +, + होते हैं। अन्य में X ऋणात्मक होता है या Y ऋणात्मक होता है। चूंकि दूरियां सदा वास्तविक हैं जो धनात्मक में मानी जाती है। अतः धनात्मक X व Y के निर्देशांक ही लिए जाने के कारण प्रथम पाद (क्वारडेन्ट) ही लिया जाता है जिसका मूल बिन्दु (0, 0) दक्षिणी पश्चिमी कोना होता है। खेत को भी उसी भांति मानते हुए फसल कटाई प्रयोग संपादित किए

		जाते हैं। अतः दक्षिणी पश्चिमी कोने से ही प्रारम्भ करते हुए प्लाट बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जहां पर चयनित जोड़ा की निशानदेही होती है, उस बिन्दु को प्लाट का दक्षिणी पश्चिमी कोना ही मानेंगे और इस प्रकार 5 मीटर गुणा 5 मीटर का प्लाट चिन्हित (Demarcation) करेंगे। यदि खेत की दिशा इस प्रकार हो कि लंबाई पूर्व की दिशा में न होकर उत्तर दिशा में हो तो पहले सिद्धान्त के अनुसार लंबाई की ओर रेण्डम संख्या के आधार पर बढ़ेंगे। फिर चौड़ाई की और बढ़कर प्रथम खूंटी लगानी है।
5.	जब दक्षिणी पश्चिमी कोना काल्पनिक हो तब क्या करेंगे ?	ऐसी स्थिति में खेत की समस्या को देखते हुए खेत के अन्य कोने से प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। उदाहरणार्थ मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 6.1 (अ) में अंकित काल्पनिक खेत को आधार मानते हुए माना कि खेत 50 गुणा 120 कदम में अ, ब, स व द द्वारा चिन्हित कोनों में कोना – द को लेवें। वहां चित्रानुसार बिन्दु – अ के स्थान पर बिन्दु – द से 58 कदम चलने के बाद खेत में दक्षिणी की तरफ 50 – 30 = 20 कदम चलने के बाद प्लाट का दक्षिणी पश्चिमी कोना प्राप्त हो जावेगा। इसी प्रकार से अन्य बिन्दु भी लिया जा सकता है हर प्रकार से प्लाट का बिन्दु वही पड़ेगा। आगे की प्रक्रिया पूर्व विधि के अनुसार ही की जावे।
6.	यदि किसी खेत की फसल सिंचित हो किन्तु जिस प्लाट में फसल कटाई प्रयोग करना है वह स्थान कुछ ऊँचाई पर होने के कारण पानी नहीं पहुंच पाता तो उस प्लाट की फसल को सिंचित माना जावेगा या असिंचित ?	फसल कटाई प्रयोग का मुख्य उद्देश्य सिंचित व असिंचित फसल के उपज दर ज्ञात करना है। अतः ऐसी स्थिति में जहां पूरा ही प्लाट असिंचित रहा है तो उसे असिंचित ही माना जाना ही उचित रहेगा।

कृषि विस्तार कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु निर्धारित नमूना सर्वेक्षण प्रपत्रों की पूर्ति करना

उपजिला कृषि कार्यालय में पदस्थापित कृषि अन्वेषक द्वारा फसल कटाई प्रयोग कृषि पर्यवेक्षक को आवंटित किये जाते हैं। प्रयोगों के आवंटन के साथ ही उन्हें कृषक एवं खेत का चुनाव के संबंध में '' कृषि विस्तार कार्यक्रम '' के मूल्यांकन हेतु नमूना सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या 1.1 एवं प्रपत्र 1.2 प्रदान कर दिये जाते हैं। प्रपत्र 1:1 में इन्द्राज करने से पूर्व कृषि पर्यवेक्षक अच्छी तरह से इसे पढ़ें, तत्पश्चात् ही बिन्दुवार पूर्ति करें।

प्रपत्र 1:1 की पूर्ति किए जाने बाबत् आवश्यक दिशा–निर्देश

I. अभिज्ञान विवरण में सामान्य सूचनाएं हैं जो बिन्दु 1 से 10 तक प्रपत्र 1:1 में दी गई है।

II. कृषकों तथा खेतों का चुनावः–

(अ) लाभान्वित कृषकः–

बिंदु संख्या 11 पर आवंटित रेण्डम संख्या लिखें जो तीन अंको वाली है।

बिंदु संख्या 12 में अन्तिम रूप से चयनित लाभान्वित कृषक का नाम/पिता का नाम/जाति/शैक्षणिक स्तर आदि की पूर्ति करनी है।

बिंदु संख्या 13 में कृषक के उन खेतों की सूची हिन्दी की वर्णमाला के अनुसार लिखनी है जिसमें चयनित फसल बोई गई है।

बिंदु संख्या 14 बिन्दु संख्या 13 के कुल खेतों की संख्या का बिन्दु संख्या 11 में दी गई तीन अंकों की रेण्डम संख्या में भाग देकर प्राप्त शेष संख्या लिखनी है।

बिंदु संख्या 15 (अ) – अन्त में चुने गये खेत का क्रमांक जो बिन्दु 14 में शेष रही संख्या के क्रमांक पर अंकित है, लिखनी है।

इसी प्रकार स्पष्ट रूप से वर्णित बिन्दु ''ब'' से ''र'' तक पूर्ति करनी है।

(ब) अलाभान्वित कृषक

बिंदु संख्या 16– बिन्दु संख्या 12 में जिस प्रकार लाभान्वित कृषक के लिए सूचनाओं का इन्द्राज किया गया है। इसी प्रकार अन्य कृषक के लिए सूचनाओं का इन्द्राज करें।

बिंदु संख्या 17– बिन्दु संख्या 13 की तरह ही अन्य कृषक के लिए सूचना भरनी है।

बिंदु संख्या 18– बिन्दु संख्या 14 की तरह ही बिन्दु 17 के कुल खेतों की संख्या का भाग रेण्डम संख्या (11 बिन्दु) में देकर शेष रही संख्या लिखनी।

बिंदु संख्या 19– बिन्दु संख्या 15 की तरह ही इन बिंदुओं की पूर्ति अन्य कृषक के लिए करनी है।

बिंदु संख्या 20– पूर्व में वर्णित विधि के अनुसार चयनित खेतों की लाभान्वित/अन्य कृषकों के लिए लंबाई व चौड़ाई सिंगल कदमों में लिखनी है।

बिंदु संख्या 21– बिंदु 20 में प्राप्त लंबाई व चौड़ाई के लिए प्राप्त कदमों की संख्या में से 7–7 घटाकर लिखना है। कपास के खेत में लम्बाई में से 13 एवं चौड़ाई में से 7 कदम घटाने चाहिये।

बिंदु संख्या 22– कृषि अन्वेषक द्वारा आवंटित रेण्डम कॉलम का नंबर लिखना है।

बिंदु संख्या 23– यदि प्लाट के निर्धारण में रेण्डम नंबर के जोडे ऐसे हों जिन्हें किसी कारणवश रद्द करना पड़े तो उनका रद्द करने का कारण स्पष्ट करें। अन्यथा ''शून्य'' लिखें।

बिंदु संख्या 24– अंत में चुना गया रेण्डम नंबर का जोड़ा जो आपके प्लाट के निर्धारण के लिए चयनित हुआ है उसे लिखें।

बिंदु संख्या 25– कृषक से पूछकर फसल कटाई की संभावित तारीख लिखें। इस बिन्दु में लाभान्वित/अन्य कृषक के कॉलम में ही तारीख लिखें। उक्त तारीख को आपके निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारी को भी सूचित करें।

बिंदु संख्या 26– चयनित खेत में निर्धारित प्लाट दर्शाते हुए क्रमशः लाभान्वित कृषक/अन्य कृषक के कॉलम में मानचित्र बनावें।

विशेष विवरणः–

1. कृषि पर्यवेक्षक यदि किसी चयनित कृषक के स्थान पर दूसरे कृषक के यहां फसल कटाई प्रयोग का आयोजन करता हैं तो वह कृषक बदलने का कारण भी लिखें।
2. कृषि अन्वेषक की टिप्पणी व पाई गई कमी का विवरण
3. खेत का चयन हो जाने के बाद संबंधित कृषक को पाबन्द किया जावे कि चयनित खेत के किसी भी भाग में से कोई भी हिस्सा/जिन्स फसल कटाई प्रयोग सम्पादन से पूर्व काटी नहीं जावे तथा कृषक की सहमति से फसल कटाई की तारीख निर्धारित की जाकर प्रपत्र 1:1 में सूचना अंकित की जावे।
4. कृषि पर्यवेक्षक उपरोक्त प्रपत्र की पूर्ति कर तत्काल उपजिला कृषि कार्यालय में पदस्थापित कृषि अन्वेषक को प्रस्तुत करें ताकि निरीक्षण करने वाले अधिकारी को प्रपत्र 1:1 समय पर दिया जा सके।
5. प्रपत्र 1:1 के आधार पर निरीक्षण अधिकारी क्षेत्र में प्लाट के डिमार्केशन की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रयोग ठीक प्रकार से संपादित किया जा रहा है या नहीं।

प्रपत्र 1:2 की पूर्ति करनाः–

I. अभिज्ञान विवरणः प्रपत्र 1:1 के अनुसार ही बिन्दु (क्रमांक 1 से 10 तक) में सूचनाओं की पूर्ति करें।

II. चुने हुए काश्तकार की होल्डिंग का विवरणः–

बिन्दु संख्या 11: प्रपत्र 1:1 के अनुसार ही पूर्ति करें।

बिन्दु संख्या 12: होल्डिंग का क्षेत्रफल हैक्टेर में।

कृषक की होल्डिंग का अर्थ है कि कृषक की समस्त बोई गई भूमि/जोत।

होल्डिंग के अन्तर्गत यदि कृषक ने भूमि पट्टे पर लेकर बोई है तो उसकी समस्त होल्डिंग में यह भूमि जोड़ दी जायेगी। किन्तु यदि कृषक द्वारा अपनी भूमि किसी अन्य कृषक को बोने के लिए पट्टे पर दी है तो उसकी कुल होल्डिंग में से यह भूमि घटा दी जावेगी। इस प्रकार प्राप्त कुल भूमि को सिंचित / असिंचित के कालमों में भरी जावें

बिन्दु संख्या 13 – होल्डिंग के नाप के आधार पर कृषकों का वर्ग।

सीमान्त कृषकः– एक हैक्टर या इससे कम भूमि वाले कृषक सीमान्त कृषक कहलावेंगे।

लघु कृषकः– एक हैक्टर से अधिक एवं दो हैक्टर तक भूमि वाले कृषक लघु कृषक कहलावेंगे।

अन्य कृषकः– उक्त दोनों कृषकों के अतिरिक्त वर्ग वाले कृषक अन्य कृषक कहलावेंगे।

बिन्दु संख्या 14:– चयनित फसल का कुल क्षेत्रफल लिखें।

बिन्दु संख्या 15 :– अन्त में चुने गये खेत का नाम आदि लिखें।

(प्रपत्र संख्या 1:1 से मिलान करते हुए)

बिन्दु संख्या 16:–चुने हुए खेत में प्रायोगिक जिन्स का क्षेत्रफल लाभान्वित अन्य कृषक के अनुसार पूर्ति करें।

बिन्दु संख्या 17:– प्रपत्र 1:1 के अनुसार खेत की लंबाई व चौडाई सिंगल कदमों में लिखें।

बिन्दु संख्या 18:– चयनित खेत में गत वर्ष बोई गई जिन्स का नाम खरीफ/रबी फसलों के अनुसार लिखें।

III. चुने गये खेत में अपनाये गये प्रभावी बिन्दुओं का विवरणः–

(बिन्दु 19 से 37 तक)

उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति करते समय विशेष सावधानी बरतनी जानी चाहिये। इनमें बिन्दु 19 में कृषक द्वारा भूमि उपचार किये जाने की कृषक से पूछताछ कर सही सही सूचना भरनी है।

बिन्दु 19 :– कृषक से जानकारी प्राप्त करें कि कृषक द्वारा भूमि के कीड़े समाप्त करने हेतु भूमि में किस दवा का उपयोग किया गया है अर्थात क्या मिट्टी में कोई दवा मिलाई है। यदि हां, तो हां अन्यथा नहीं लिखें।

बिन्दु 20 :–(क) खेत में गोबर की खाद/कम्पोस्ट खाद/हरी खाद के उपयोग की जानकारी प्राप्त कर प्रपत्र में भरें।

बिन्दु सं0 20 (ख):– खेत में दी गई खाद की कुल मात्रा लिखें, कृषक द्वारा गोबर की खाद, लड्ढ़ों अथवा ट्रोली के अनुसार डालना बताया जाता है जिसे क्विंटल में बदलकर लिखा जावें, सामान्यतया एक लड्ढ़े में 8 से 10 क्विंटल खाद भरी जाती है तथा एक ट्रोली में 40 क्विंटल के लगभग खाद आती है।

बिन्दु संख्या 21 से 23 तक की पूर्ति निम्न प्रकार करें:–

कृषकों से यह जानकारी प्राप्त करें कि बोने से पूर्व क्या उनके द्वारा भूमि में रासायनिक उर्वरक डाली गई। यदि हां तो, हां अन्यथा नहीं लिखे। बिन्दु संख्या 21 में यदि हां है तो उर्वरक नाम एवं खेत में डाली गई मात्रा लिखे। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 22, 23 में यदि हां है तो जिप्सम एवं वर्मी कम्पोस्ट की खेत में डाली गई मात्रा लिखें।

बिन्दु संख्या 24:– अधिक उपज वाली/संकर बीजों के उपयोग वाले कॉलम को सावधानी से भरा जावें। सर्वप्रथम फसल का नाम भरें तथा यह ज्ञात करें कि कृषक द्वारा बीज कहां से खरीदा गया है।

बिन्दु संख्या 24–अः यदि कृषक द्वारा अधिक उपज/संकर बीजों का प्रयोग किया गया है तो किस्म का नाम लिखें।

बिन्दु संख्या 24–बः की पूर्ति करते समय यह जानकारी प्राप्त करें कि क्या बीज की थैली में टैग लगा हुआ था तथा क्या थैली पैकड़ थी। संतुष्टी होने पर ही बीज को प्रमाणित मानें। अन्यथा नहीं लिखें।

बिन्दु संख्या 24–सः चयनित खेत में डाले गये बीज की कुल मात्रा लिखें तथा खेत के क्षेत्रफल से गणना कर बीज की मात्रा किलोग्राम प्रति हैक्टर में निकालें।

बिन्दु संख्या 25:– में बीजोपचार की जानकारी भरनी है। अतः कृषक से यह जानकारी लेवें कि क्या उसने बीज को बोने से पूर्व किसी दवा द्वारा उपचारित किया है। यदि हां, तो हां अन्यथा नहीं लिखें।

बिन्दु संख्या 26:– में राईजाबियम/पीएसबी/एजेक्टोबैक्टर कल्चर से बीजोपचार की जानकारी भरनी है। अतः कृषक से कल्चर पैकिट की जानकारी अच्छी प्रकार से प्राप्त करके मिलाने की विधि की भी जानकारी लेवें जिससे यह विश्वास हो जावे कि कृषक द्वारा वास्तव में कल्चर मिलाया गया है।

बिन्दु संख्या 27:– में बोने की दिनांक, माह व वर्ष तीनों की पूर्ति करें।

बिन्दु संख्या 28 व 29 :–की पूर्ति कृषक से अच्छी तरह से पूछ कर करें।

बिन्दु संख्या 30:– में पलेवा करने की सूचना का अर्थ है कि क्या कृषक द्वारा बुवाई से पूर्व खेत में सिंचाई की गई। यदि हां, तो बिन्दु संख्या 30 में हॉ लिखें।

बिन्दु संख्या 31:– इस बिन्दु की पूर्ति विभागीय सिफारिश के आधार पर करें।

बिन्दु संख्या 32:– में क्या कृषक द्वारा खेत की निराई–गुड़ाई की गई है यदि हां, तो हां अन्यथा नहीं लिखें।

बिन्दु संख्या 33:–निराई–गुडाई का कार्य कृषकों द्वारा दो प्रकार से किया जाता हैः–

(1) कृषक द्वारा स्वयं के हाथों से पौधे उखाड़ कर

(2) खेत में दवा का छिड़काव करके।

अतः कृषक से सावधानी पूर्वक जानकारी प्राप्त करके ही पूर्ति करें।

बिन्दु संख्या 34 (क) से (ग):– खडी फसल में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कृषकों द्वारा किया गया है तो कॉलम 34(क) में हां अन्यथा नहीं लिखें। यदि कॉलम 34(क) में हां इन्द्राज किया गया है तो कॉलम 34(ख) में उर्वरक का नाम लिखे एवं कॉलम 34(ग) में खेत में डाली गई उर्वरक की मात्रा लिखें।

बिन्दु संख्या 35 (क) व (ख):–यदि खेत में पोषक/सूक्ष्म तत्व जैसे हर्बाटोन, जिन्क आदि दिए गए हों तो कॉलम 35(क) में हां यदि नहीं दिये गए तो नहीं अंकित करें। यदि कॉलम 35(क) में हां है तो कॉलम 35(ख) में सूक्ष्म पोषक तत्व की खेत में डाली गई कुल मात्रा लिखें।

बिन्दु संख्या 36 (क) से 36 (ग):–यदि कृषक द्वारा खड़ी फसल में दवा का छिड़काव किया गया हो तो कॉलम 36 (क) में हां अंकित करें अन्यथा नहीं यदि कॉलम 36 (क) में हां है तो कॉलम 36 (ख):– में रसायन का नाम व कॉलम 36 (ग) में खेत में दी गई कुल मात्रा लिखें।

बिन्दु संख्या 37:–में यदि दो या अधिक आई.पी.एम.अवयवों का उपयोग किया गया है तो हां/नहीं अंकित करें।

बिन्दु संख्या 37 (अ) से 37 (द):– फसल के सिंचित होने पर ही सिंचित लिखें अर्थात यदि फसल के समय या बुवाई से पूर्व खेत में सिंचाई की गई है तो फसल को सिंचित मानें। यदि सिंचाई नहीं दी गई है तो फसल को असिंचित मानें तथा सिंचाई की संख्या तथा सिंचाई बुवाई के कितने दिनों बाद की गई है एवं सिंचाई का साधन कृषक से सही जानकारी प्राप्त कर सावधानीपूर्वक भरें।

IV फसल कटाई संबंधी विवरणः

बिन्दु संख्या 38:– उक्त कॉलम में बनाए गए प्लाट की नाम लिखनी है जो कि कपास हेतु 10 गुणा 5 मीटर तथा अन्य फसलों के लिए 5 गुणा 5 मीटर निर्धारित है। अतः नियमानुसार भरें।

बिन्दु संख्या 39:– इस कॉल में फसल कटाई की तारीख पूर्ण रूप से लिखें।

बिन्दु संख्या 40:– फसल कटाई के पश्चात् अनाज निकालने की तारीख अंकित करें।

बिन्दु संख्या 41(अ) से 41 (स):– खरीफ की फसल में बाजरा, ज्वार व मक्का के सिट्टे व भुट्टों का वजन लिखा जाना है तथा रबी की फसल में अनाज का तौल लिखा जाना है। अतः फसलवार पूर्ति करें। फसल को कितनी क्षति पहुंची है इसका आंकलन कर प्रतिशत में लिखें।

बिन्दु संख्या 42:– कपास की कटाई में चुनाई कार्य कई बार किया जाता है। अतः तारीखवाईज आंकड़े अंकित करें।

बिन्दु संख्या 43:– सुखाई के लिए रखे गये अनाज/मूंगफली का तौल सावधानीपूर्वक करें।

खरीफ फसलः–

मूंगफली का तौल फलियों सहित किया जावे। अतः मूंगफली की फलियां तौलकर सुखा लेवें तथा 7 से 10 दिन तक सुखा कर पुनः तोल कर अंतिम वजन लिखें। ध्यान रहे कि मूंगफली का अंतिम तौल लेते समय उसके दाने नहीं निकालने है इसी प्रकार बाजरा, ज्वार व मक्का के सिट्टो /भुट्टों में से दाने निकालकर सुखाकर उसका अंतिम तौल लेवें। खरीफ की दलहनीय फसलों में फलियों को तोड़कर सूखा लेवें एवं दाना निकाल कर वजन प्राप्त करें। यदि फलियां अलग अलग तारीख में निकलती हैं तो इसी प्रकार दानों का तौल अलग अलग प्राप्त कर सभी को जोड़ कर कुल वजन लिखें।

बिन्दु संख्या 44:– सूखे अनाज का तौल / मूंगफली का अंतिम तौल लिखें व अंतिम तौल की तारीख आवश्यक रूप से लिखें।

V विशेष विवरणः–

बिन्दु संख्या 45:– में कृषकों द्वारा बताई गई समस्याएँ जिसके कारण अधिक उत्पादन नहीं लिया जा सका, अंकित करें।

बिन्दु संख्या 46:– निरीक्षण अधिकारी लाभान्वित व अन्य कृषकों से फसल कटाई प्रयोग की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें तथा चयनित फसल का उत्पादन बढ़ाने संबंधित सुझाव तथा ग्राम की अन्य समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक सुझाव भी बतावें।

बिन्दु संख्या 47:–चयनित खेत में फसल की स्थिति का विवरण लिखें।

VI निरीक्षण अधिकारी का विवरणः–

बिन्दु संख्या 48:– सर्वेक्षण में पाई गई कमियों का विवरण अंकित करें।

बिन्दु संख्या 49:– निरीक्षण अधिकारी द्वारा चयनित फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिये दिये गये सुझाव अंकित करें।

बिन्दु संख्या 50:– निरीक्षण अधिकारी द्वारा ग्राम की अन्य समस्याएं जिनके समाधान से उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, अंकित करें।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. फसल कटाई प्रयोग सम्पादित कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र 1:2 का अध्ययन गहनता से किया जावे तथा संबंधित कॉलम में वांछित सूचना विश्वसनीयता के साथ स्वच्छता से दर्ज की जावे।
2. फसल कटाई प्रयोग सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक सामग्री/यंत्र यथा फीता, खूंटियां, रस्सियां, तराजू, बाट, थैला, रेण्डम तालिका एवं प्रपत्र संख्या 1:2 कृषि पर्यवेक्षक अपने साथ लेकर जावे।
3. फसल कटाई प्रयोग निरीक्षणकर्ता की मौजूदगी एवं निर्धारित तारीख में ही यथा संभव सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. निरीक्षण अधिकारी कटाई एवं गहाई कार्य का निरीक्षण करने के पश्चात् प्रपत्र 1:2 पर अपने हस्ताक्षर, पदनाम एवं दिनांक आवश्यक रूप से अंकित करें।

निरीक्षण अधिकारियों हेतु दिशा–निर्देश

1. निरीक्षण अधिकारी कटाई से पूर्व प्रपत्र 1:1 व प्रपत्र 1:2 का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि जिस प्लाट का कटाई कार्य किया जाना है उसका चयन सही है।
2. निर्धारित तारीख को खेत में आवश्यक रूप से उपस्थित होना।
3. फसल कटाई प्रयोग निरीक्षणकर्ता की मौजूदगी एवं निर्धारित दिनांक को ही सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. खेत का दक्षिणी पश्चिमी कोना सही रूप से चयन किया गया है अथवा नहीं, इसकी जांच करनी।
5. खेत की लंबाई व चौडाई सिंगल कदमों में नापी गई है अथवा नहीं, जांच कर लेवें।
6. प्लाट का कर्ण नाप कर जांच करें कि प्लाट सही बना है अथवा नहीं।
7. कटाई से पूर्व प्लाट के आस पास की फसल को कटवा देना चाहिए तथा पुनः प्लाट का नाप करना चाहिए।
8. प्लाट के चारों और रस्सी डालकर कटाई करावें।
9. कटाई के समय जिन पौधों की जड़ें प्लाट के अंदर आ रही हैं उनको प्लाट की उपज में सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा यदि यह ज्ञात करना संभव नहीं हो तो आधे पौधों को अंदर व आधों को बाहर मानकर कटाई कार्य किया जावे।
10. प्लाट की उपज को यदि सिट्टे/भुट्टें हैं तो अपने समक्ष गिनकर व तौलकर थैले में भरवा देवें तथा उसमें एक कागज की पर्ची अवश्य डाल देवें जिसमें कटाई की तारीख/भुट्टों अथवा सिट्टों की संख्या तथा उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अवश्य हों। यदि फसल पूलियों के रूप में है तो पूलियों की संख्या लिखें तथा पूलियों को इस प्रकार सुरक्षित रखवा देवें जिससे वे अन्य फसल से भिन्न प्रतीत हों ताकि

अन्य फसल के साथ उन्हें मिलाना संभव नहीं हो। फसल को सुरक्षित स्थान पर रखा जावे जिससे उसे चूहों अथवा अन्य जानवरों से बचाया जा सके।

11. अन्तिम तौल अपने समक्ष ही करावें तथा पूर्व में रखे गये भुट्टे/सिट्टे व अनाज की पुनः जांच कर लेवें।
12. फसल का वजन 10 ग्राम तक अंकित करें।
13. फसल कटाई प्रयोग पर अपनी टिप्पणी अवश्य देवें।

फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन एवं निरीक्षण के कार्य को प्रभावी एवं गतिशील बनाने हेतु आवश्यक बिन्दुः–

(अ) कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित बिन्दुः–

1. प्रत्येक चयनित फसल में, क्षेत्र में फसल कटाई आरम्भ होने के कम से कम एक माह पूर्व प्लाट का ले आउट कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा आवश्यक रूप से किया जाकर प्रपत्र 1:1 कृषि उप जिला कार्यालय में पदस्थापित कृषि अन्वेषक को उपलब्ध करा दिये जावे।
2. कृषि पर्यवेक्षक फसल कटाई की अवधि में चयनित कृषकों से सम्पर्क बनाये रखे तथा फसल कटाई की तारीख में यदि परिवर्तन हो तो निरीक्षण अधिकारी एवं कृषि अन्वेषक को फसल कटाई से पूर्व आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करावें।
3. प्रपत्र 1:1 व 1:2 के प्रत्येक कॉलम को स्वच्छता से भरें तथा कोई भी कॉलम रिक्त नहीं रहे।

(ब) कृषि अन्वेषक से संबंधित बिन्दुः–

1. कृषि अन्वेषक 1:1 प्रपत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर निरीक्षण अधिकारी को उनसे संबंधित 1:1 प्रपत्र उपलब्ध करायेंगे तथा फसल कटाई प्रयोग की तारीख की सूचना का रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे।
2. कृषि अन्वेषक फसल कटाई की अवधि में आयोजित कलस्टर बैठक में भाग लेकर फसल कटाई की तारीखों के परिवर्तन में बारे में कृषि पर्यवेक्षकों से विचार विमर्श सुनिश्चित करेंगे।
3. कृषि अन्वेषक संबंधित बिन्दुओं की पालना नहीं करने वाले कृषि पर्यवेक्षकों एवं निरीक्षण अधिकारियों के संबंध में मासिक प्रगति प्रतिवेदन में विशेष रूप से उल्लेख करेंगे।
4. प्रपत्र 1:1 के आधार पर फसल कटाई की तारीखों की सूचना फसलवार तैयार कर खण्ड कार्यालय को एवं आयुक्तालय को 1:1 प्रपत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे। तथा परिवर्तन होने पर तदानुसार समय पर सूचित करेंगे।

(स) निरीक्षण अधिकारियों से संबंधित बिन्दुः–

1. निरीक्षण अधिकारी फसल कटाई एवं फसल कटाई के बाद किए गए निरीक्षणों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 1:1 प्रपत्र निरीक्षण कार्य पूर्ण करने के एक सप्ताह के अंदर कृषि अन्वेषक को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
2. निरीक्षण अधिकारी प्रपत्र 1:1 के अनुसार प्लाट के ले आउट का निरीक्षण करेंगे तथा प्रपत्र 1:2 में भरी गई प्रविष्टियों के संबंध में चयनित कृषक से पूछताछ कर सत्यापन करेंगे तथा प्रपत्र पर हस्ताक्षर भी आवश्यक रूप से करें।
3. फसल कटाई प्रयोग के तिथि परिवर्तन के संबंध में कृषि पर्यवेक्षक से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो प्रपत्र 1:1 में अंकित तारीख को ही निरीक्षण तारीख माना जावेगा तथा निरीक्षण अधिकारी तदानुसार ही निरीक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।

(द) प्रबोधन एवं मूल्यांकन अधिकरियों से संबंधित बिन्दुः–

1. सम्भाग स्तर पर प्राप्त फसल कटाई प्रयोग संबंधित सूचनाओं का उप निदेशक कृषि (सांख्यिकी) नियमित रूप से मोनीटरिंग करेंगे तथा जिस स्तर पर भी कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा शिथिलता बरती जा रही हो, उनके संबंध में खण्ड़ स्तर पर आयोजित होने वाली मासिक कार्यशालाओं में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सुधार के प्रयास सुनिश्चित किए जावेंगे।

रैण्डम टेबिल का प्रयोग

रैण्डम टेबिल पढ़ने की विधिः– रैण्डम नं. की टेबिल्स पांच पृष्ठों में होगी। पहले पृष्ठ में एक अंक वाले, दूसरे व तीसरे पृष्ठों में दो अंक वाले और चौथे तथा पांचवे पृष्ठों में 3 अंक वाले रैण्डम नं. दिये गये है। जब इन टेबिलों में से रैण्डम नं. चुने जावें तो निम्न बातें ध्यान में रखी जावेंः–

1. (अ) ठीक संख्या वाली रैण्डम नं. की टेबिल का प्रयोग किया जावे।

उदाहरणः– मान लो कि रैण्डम नं. 1 से लेकर 9 तक के भीतर लेने हों तो एक अंक वाले रैण्डम नं. की टेबिल काम में ली जावें, 10 से 99 तक के लिये 2 अंक वाली तथा 100 से 999 तक के लिये 3 अंक वाली टेबिल काम में ली जावे और 0001 से 9999 तक के लिये 2 अंक वाले बराबर के दो कॉलम एक साथ पढ़ने चाहिये।

(आ) (शिक्षण काल) ट्रेनिंग के समय प्रत्येक पर्यवेक्षक या कार्यकर्त्ता को हर टेबिल में से कोई सा एक कॉलम दिया जावेगा जब रैण्डम नम्बर चुने जायें तो उस कॉलम के सिरे पर से शुरू करना चाहिये।

(इ) चुने गये रैण्डम नम्बर आपकी संख्या से अधिक नहीं होने चाहिये अर्थात् या तो वे कम रहे या बराबर रहे।

(ई) हर बार रैण्डम नम्बर चुनने के लिये अन्तिम बार चुने हुए रैण्डम नम्बर के आगे छपे हुए नम्बर पढ़ने चाहिये।

(उ) आपका निर्धारित किया हुआ कॉलम पूरा हो चुका हो तो फिर दाहिनी ओर के कॉलम को सिरे पर से काम में लाइये। उस दशा में जबकि दाहिनी तरफ वाले सब कॉलम पूरे हो गये हो, तो फिर पहले कॉलम से आरम्भ करें।

(ऊ) चुने गये रैण्डम नम्बर पर पेन्सिल से (सही) का चिन्ह कर दिया जाये।

2 खाद्यान्नों के लिये हर चुने हुए खेत के टुकड़े में 5 मीटर गुणा 5 मीटर का वर्गाकार प्लाट रैण्डम तरीके से बनाना है यह उसी दिन करना चाहिये जिस दिन कि खेत चुने जायें। प्लाट बनाने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना चाहिये कि यह वही खेत है जिसे कि आपने चुना है।

3 रैण्डम प्लाट को बनाने का तरीका इस प्रकार है कि आप उत्तर की तरफ मुंह करके इस प्रकार खड़े हों कि खेत आपके सामने और दाहिने रहे। खेत का यह कोण (जहां कि आप खड़े है) दक्षिण–पश्चिम का कोना, आपके आरम्भ करने का स्थान होगा। अगर खेत की भुजाएं ठीक उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम की ओर न हो तो आरम्भ का कोण मालूम करने के लिए लगभग उत्तर दिशा की ओर खड़े हों। आसानी के लिए इस कोने पर

एक खूंटा गाड़ दीजिये। आरम्भ के कोने से शुरू करके खेत की लम्बाई–चौड़ाई कदमों में नापिये। लम्बाई और चौड़ाई के कदमों में से 7 घटा दीजिये और जो शेषफल बचे उसमें से एक रैण्डम लम्बाई के लिये और एक चौड़ाई के लिए (प्लाट निर्धारित करने के लिये) रैण्डम नम्बरों में से चुन लीजिये। इस बात का ध्यान रहे कि आपके चुने हुए रैण्डम नम्बर उन दोनों शेषफलों से अधिक न हो इस प्रकार चुने हुए रैण्डम नम्बरों के जोड़े प्लाट के दक्षिण–पश्चिमी कोने के नम्बर होंगे।

उदाहरणः– मान लीजिये कि किसी खेत के टुकडे की चुनने के लिए ऊपर बताए हुए तरीके से बचा हुआ शेषफल 67 है तो 67 से कम संख्या वाला रैण्डम नम्बर चुनना चाहिये। अब चूंकि 67 दो अंक वाला है इसलिये दो अंक वाले रैण्डम नम्बर की सूची में उपर से नीचे की तरफ पढ़िये। मान लीजिये चौथा कॉलम आपको आवंटित किया गया है। इस कॉलम की पहली संख्या 67 से कम 64 है तो यही आपके प्लॉट बनाने के लिए एक नम्बर होगा। इस पर पैन्सिल से (सही) लगावें। क्योंकि यह नम्बर चुन लिया गया है अब अगर दो अंक वाला दूसरा रैण्डम नम्बर चुनना हो तो कॉलम के नीचे की ओर 64 के बाद वाले नम्बर की ओर से पढ़िये।

(अ) मान लीजिये खेत की चौड़ाई में से 7 घटाकर क्षेत्रफल 38 है और हमें 2 अंकों के रैण्डम नम्बरों वाली सूची में से पिछले चुने हुए रैण्डम नं. से आगे दिये हुए रैण्डम नं. को पढ़ना चाहिये और ऐसा नम्बर चुनना चाहिये जो 38 से बड़ा न हो। सूची से मालूम हुआ कि पहला नम्बर जो 38 से अधिक नहीं है और पहले चुने हुए रैण्डम नम्बर 64 के बाद आता है वह 23 है तो उस 23 पर सही का निशान पैन्सिल से लगा दीजिये। अब आपके प्लॉट निर्धारित करने के लिए 64 और 23 दो रैण्डम नं. होंगे। दूसरा दो अंकों का जोड़ा चुनने के लिए 23 पर बाद नीचे की तरफ पढ़िये जब यह कॉलम समाप्त हो जाये जो सूची में दाहिनी ओर के कॉलम का प्रयोग करना चाहिये।

(आ) अगर शेषफल 3 अंको का हो तो एक रैण्डम नम्बर लम्बाई के लिए और एक चौड़ाई के लिए 3 अंको की रैण्डम नं. की सूची से चुनना चाहिये। इसी प्रकार जबकि शेष 10 से छोटा हो तो लम्बाई और चौड़ाई के लिए रैण्डम नम्बर ऊपर बताए हुए तरीके से लेना चाहिए और उसका चुनाव एक अंक वाले रैण्डम नम्बरों की सूची में से करना चाहिये।

प्लाट निर्धारित करने के लिये रेण्डम नम्बरों की सूची

एक अंक वाले रेण्डम नम्बरों की सूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	3	2	6	1	6	8	0	4	5	6	0	8	0	0	7	3	5	4	5	5	4
2	7	0	7	1	6	0	7	5	1	2	3	6	1	9	9	9	7	3	1	1	8
1	3	5	5	3	8	5	8	5	9	8	8	6	7	0	0	3	7	2	6	7	1
5	7	1	2	1	0	1	4	2	1	8	8	6	5	2	2	4	2	8	6	7	3
0	6	1	8	4	4	3	2	5	3	2	3	0	9	2	7	8	5	0	0	9	4
8	7	3	5	2	0	9	6	4	3	8	4	6	7	4	2	9	6	3	7	2	7
2	1	7	6	3	3	5	0	2	5	8	3	2	0	8	7	8	6	1	0	4	8
1	2	8	6	7	3	5	8	0	7	4	4	1	7	5	5	7	3	9	5	2	5
1	5	5	1	0	0	1	3	4	2	9	9	3	2	0	0	8	2	8	0	0	4
9	0	5	2	8	4	7	7	2	7	0	8	1	3	1	3	7	5	6	9	2	9
0	6	7	6	5	0	0	3	1	0	5	5	2	6	7	2	5	1	9	2	7	5
2	0	1	4	8	5	8	8	4	5	1	0	2	3	8	1	1	7	0	5	0	3
3	2	9	8	9	4	0	7	7	2	9	3	2	8	3	4	5	0	3	4	1	4
7	0	2	2	0	2	5	3	5	3	8	6	4	0	6	6	8	9	2	0	8	7
5	4	4	2	0	6	8	7	9	8	3	5	1	7	3	1	8	8	9	2	2	9
1	7	7	6	3	7	1	3	0	4	0	7	0	0	8	8	3	8	7	9	3	1
7	0	3	3	2	4	0	3	5	4	9	7	2	4	3	3	9	3	4	8	6	5
0	4	4	3	1	8	6	6	7	9	9	4	9	7	7	2	7	8	0	5	7	3
1	2	7	2	0	7	3	4	4	5	9	9	6	1	9	9	1	3	9	5	0	9
5	2	8	5	6	6	6	0	4	4	3	8	5	7	0	0	4	5	0	5	0	9
0	4	3	3	4	6	0	9	5	2	6	8	5	0	4	2	4	2	4	6	7	7
1	3	5	8	1	8	2	4	6	7	6	1	5	5	8	2	7	7	4	4	7	7
9	6	4	6	9	2	4	2	4	5	9	7	3	2	8	5	3	8	2	7	5	7
1	0	4	5	6	5	0	4	2	6	1	1	2	1	8	7	7	3	4	9	6	2
3	4	2	5	2	0	5	7	2	7	4	0	5	1	7	2	7	5	9	5	4	1
6	0	4	7	2	1	2	9	6	8	0	2	5	4	6	7	0	2	6	5	5	4
7	6	7	0	9	0	3	0	8	6	3	8	3	9	4	7	4	8	2	5	8	7
1	6	9	2	5	6	5	6	1	6	0	2	7	6	3	9	9	2	2	5	0	4
4	0	0	1	7	4	9	1	6	2	4	8	8	6	7	4	8	8	3	1	2	7
0	2	5	2	4	3	4	8	8	5	2	7	8	4	6	4	6	9	7	9	4	9

प्लाट निर्धारित करने लिये रेण्डम नम्बरों की सूची (क्रमशः)

दो अंक वाले रेण्डम नम्बरों की सूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	51	00	83	63	22	55	36	65	36	63	70
68	97	87	64	81	07	83	73	71	98	16	04
30	79	20	69	22	40	98	72	20	56	20	11
81	69	40	23	72	51	39	75	17	26	99	76
90	60	73	96	53	97	86	37	48	60	82	29
46	15	38	26	61	70	04	68	08	02	80	72
99	05	48	67	26	43	18	14	23	98	61	67
98	35	55	03	36	67	68	49	08	96	21	44
11	53	44	10	15	85	57	78	37	06	08	43
06	71	95	06	79	88	54	37	21	34	17	38
83	45	19	90	70	99	00	14	29	09	34	04
49	90	65	97	38	20	46	58	43	28	06	36
39	84	51	67	11	52	49	10	45	67	29	37
16	17	17	95	70	45	80	44	38	88	39	54
13	74	63	52	52	01	41	90	69	59	19	51
68	93	60	61	97	22	61	41	47	10	25	62
01	07	98	99	46	50	47	91	94	14	63	19
74	97	76	38	03	29	63	80	06	54	18	66
19	33	53	05	70	53	30	67	72	67	63	48
41	70	02	87	40	41	45	59	40	24	13	27
95	80	35	14	97	35	33	05	90	35	79	95
82	15	94	51	33	41	67	44	43	80	79	98
65	31	91	51	80	32	44	61	81	31	96	82
85	23	65	09	29	75	63	42	88	07	10	05
95	79	20	71	53	20	25	77	94	30	05	39
81	06	01	82	77	45	12	78	83	19	76	16
00	52	53	43	37	15	26	87	76	59	61	81
50	28	11	39	03	34	25	91	43	05	96	47
83	32	40	36	40	96	76	84	97	77	72	73
69	84	99	63	22	32	98	87	41	60	76	88

प्लाट निर्धारित करने के लिए रेण्डम नम्बरों की सूची(क्रमशः)
दो अंक वाले रेण्डम नम्बरों की सूची

13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
77	45	85	50	65	87	08	13	50	63	04	23
29	18	94	51	43	65	00	78	66	28	55	80
72	65	71	08	62	60	53	51	57	32	22	27
89	37	20	70	54	96	72	66	86	65	64	60
81	30	15	39	46	96	19	83	52	47	53	86
83	75	46	30	18	08	51	51	78	57	26	17
70	52	85	01	13	37	00	79	68	96	26	60
25	27	99	41	40	25	24	73	52	93	70	50
63	61	62	42	90	65	77	63	99	25	69	02
86	96	88	23	53	09	48	86	28	30	02	35
87	83	07	55	40	69	80	90	96	47	59	97
49	52	83	51	96	06	68	93	41	69	96	07
50	62	80	03	07	76	21	40	24	74	36	42
86	97	37	44	27	78	37	06	06	16	25	98
85	39	52	85	44	66	88	97	81	26	03	89
97	05	31	03	58	91	63	65	99	59	96	84
75	89	11	47	00	97	26	16	91	21	32	41
09	18	94	06	00	51	72	62	03	89	26	32
84	08	31	55	15	00	41	92	27	73	40	38
79	26	88	86	30	92	30	45	51	94	69	04
01	61	16	96	19	94	91	60	48	57	10	25
46	68	05	14	10	70	49	92	05	12	07	33
00	57	25	60	23	13	67	95	07	76	30	55
24	98	65	63	63	71	54	50	06	44	76	68
28	10	99	00	19	29	56	23	27	19	03	69
94	11	68	84	39	79	11	28	94	15	52	37
43	63	64	61	86	57	77	55	33	62	02	66
55	78	99	95	51	26	35	96	29	00	45	33
09	62	00	65	07	21	02	84	48	51	97	76
44	88	06	07	86	33	49	90	21	60	74	43

प्लाट निर्धारित करने के लिए रेण्डम नम्बरों की सूची(क्रमशः)
तीन अंक वाले रेण्डम नम्बरों की सूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
642	807	270	546	029	835	828	386	010	216	322	045
790	186	608	897	265	257	276	134	111	614	930	921
435	410	099	205	681	336	313	094	883	382	695	654
218	345	226	433	905	298	385	904	803	854	068	739
263	626	225	267	531	617	134	416	101	081	503	908
296	340	928	403	526	048	138	609	682	807	331	986
835	883	273	307	700	226	101	462	243	049	471	774
058	569	858	422	469	850	647	050	558	217	564	886
452	341	221	192	226	615	614	734	201	633	887	868
757	094	429	348	407	575	377	095	239	675	520	686
149	322	243	302	047	427	832	247	827	331	045	500
639	252	212	801	325	032	719	795	702	411	141	913
648	047	384	924	748	096	704	732	188	117	519	249
573	469	233	958	782	058	134	047	833	857	686	154
879	632	569	615	352	706	787	428	114	305	629	806
676	183	092	227	221	143	760	061	915	262	366	778
235	417	572	035	884	979	255	034	163	387	717	660
749	882	410	000	437	057	074	404	742	573	618	017
364	969	700	077	762	551	646	702	616	517	361	377
406	667	651	823	196	747	742	202	473	049	634	181
749	604	596	495	370	532	952	843	214	125	162	642
355	217	237	436	308	679	812	165	651	367	825	191
392	184	954	851	986	202	732	640	447	515	829	158
627	816	252	418	490	869	332	852	772	438	864	281
709	349	671	505	855	905	549	550	489	101	527	041
876	219	495	418	943	964	861	424	200	164	054	452
687	521	928	822	641	033	948	299	058	732	974	113
836	884	465	379	779	348	217	195	369	232	948	907
264	484	430	807	965	329	181	438	896	614	551	306
406	292	730	137	232	154	714	114	506	375	139	077

प्लाट निर्धारित करने के लिए रेण्डम नम्बरों की सूची

तीन अंक वाले रेण्डम नम्बरों की सूची

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
288	302	957	018	509	053	044	053	849	285	898	732
985	943	462	554	146	318	313	540	090	553	340	096
870	654	605	967	968	085	370	252	657	094	698	056
813	728	361	256	619	191	079	473	763	886	097	893
506	663	573	866	835	785	689	529	992	283	964	416
304	855	222	564	247	726	626	370	569	002	759	996
232	804	271	505	536	173	607	504	020	357	975	750
547	746	272	659	500	478	039	821	904	130	633	570
570	419	722	753	519	962	836	477	033	320	248	817
113	008	777	675	351	395	665	463	578	647	736	959
526	559	446	466	308	699	620	179	197	937	171	423
224	878	732	433	005	993	355	727	995	421	816	713
199	107	231	637	192	397	865	512	072	863	901	081
491	049	367	154	056	911	777	635	102	349	675	392
674	020	950	500	232	289	553	962	844	902	272	428
857	512	776	644	719	415	362	900	851	169	852	504
102	072	305	756	036	523	026	453	977	744	132	319
519	301	585	845	931	731	642	365	632	333	831	719
648	414	669	196	462	612	192	681	061	420	943	216
284	604	628	959	985	898	494	234	935	259	394	334
627	443	283	351	184	946	131	915	229	203	877	693
429	152	062	482	826	147	338	911	530	984	319	317
922	430	588	558	986	031	699	384	192	956	384	030
416	744	365	022	401	067	667	423	957	158	754	211
039	060	686	056	021	808	697	314	744	220	369	155
122	309	242	226	403	441	624	805	329	492	098	046
486	341	451	395	054	268	134	740	902	999	108	084
494	983	308	978	800	884	383	530	520	978	343	269
631	946	604	937	246	596	101	084	367	878	322	601
507	294	628	614	385	914	324	632	069	382	626	742

कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर
कृषि विस्तार कार्यक्रम मूल्यांकन हेतु नमूना सर्वेक्षण प्रपत्र 1.1
कृषक एवं खेत का चुनाव

I. अभिज्ञान विवरण

1. वर्ष
2. फसल खरीफ/रबी
3. जिन्स का नाम
4. जिला
5. उपजिला
6. पंचायत समिति
7. ग्रम पंचायत
8. सहायक कृषि अधिकारी, मुख्यालय
9. कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय
10. चयनित राजस्व ग्राम का नाम

II. कृषकों तथा खेतों का चुनाव

अ.) लाभान्वित कृषक

11. चुनाव के लिए दी गयी रेण्डम संख्या (तीन अंको वाली)
12. अंतिम रुप से चुने गये कृषक का

नाम – पिता/पति का नाम–

जाति– अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य–

13. लाभान्वित कृषक के उन खेतों की सूची जिनमें प्रायोगिक जिन्स बोई गई हैः–

क्र. सं.	खेत की पहचान जैसे नाम/खसरा नं. आदि	देशी या उन्नत जिन्स का नाम	क्षेत्रफल हैक्टर में	क्र. सं.	खेत की पहचान जैसे नाम/खसरा नं. आदि	देशी या उन्नत जिन्स का नाम	क्षेत्रफल हैक्टर में
1				5			
2				6			
3				7			
4				8			

14. न.11 में दी गई रेण्डम सं. में न. 13 के कुल खेतों की संख्या का भाग देने पर बचने वाला शेष–
15. अ) अंत में चुने गये खेत का क्रमांक–

ब) चुने गये खेत में गत वर्ष बोई गई जिंस का नाम –खरीफ...../रबी.....

स) चुने गये खेत में गत वर्ष बोये गये बीज की किस्म का नाम–

बीज की मात्रा कि.ग्रा. में–

द) बीज कौन सा लिया है– 1. प्रमाणित बीज 2. ट्रुथफुल बीज
3.स्वयं का बीज 4. साथी काश्तकार से लिया है

य) क्या फसल सिंचित है– हां/नहीं

र) क्या खेत में रासायनिक उर्वरक दिया है– हां/नहीं

यदि हां, तो उर्वरक का नाम लिखें– बेसल..... टोपड्रेसिंग.....

दिये गये उर्वरक की मात्रा (कि.ग्रा. में)–

(ब) अलाभान्वित कृषक

16. अंतिम रुप से चुने गये कृषक का

नाम– पिता/पति का नाम–

जाति– अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य–

17.चयनित अलाभान्वित कृषक के प्रायोगिक जिन्स के खेतों की सूचीः–

क्र. सं.	खेत की पहचान जैसे नाम/खसरा नं. आदि	देशी या उन्नत जिन्स का नाम	क्षेत्रफल हैक्टर में	क्र. सं.	खेत की पहचान जैसे नाम/खसरा नं. आदि	देशी या उन्नत जिन्स का नाम	क्षेत्रफल हैक्टर में
1				5			
2				6			
3				7			
4				8			

18. न.11 में दी गई रेण्डम सं. में न. 17 के कुल खेतों की संख्या का भाग देने पर बचने वाला शेष–

19. अ) अंत में चुने गये खेत का क्रमांक–

ब) चुने गये खेत में गत वर्ष बोई गई जिंस का नाम –खरीफ...../रबी.....

स) चुने गये खेत में गत वर्ष बोये गये बीज की किस्म का नाम–

बीज की मात्रा कि.ग्रा. में–

द) बीज कौन सा लिया है– 1. प्रमाणित बीज 2. ट्रुथफुल बीज

3 .स्वयं का बीज 4. साथी काश्तकार से लिया है

य) क्या फसल सिंचित है– हां/नहीं

र) क्या खेत में रासायनिक उर्वरक दिया है– हां/नहीं

यदि हां, तो उर्वरक का नाम लिखें– – बेसल..... टोपड्रेसिंग.....

दिये गये उर्वरक की मात्रा (कि.ग्रा. में)–

III. चुने हुए खेतों का विवरणः–

क्र.सं.	विवरण	लाभान्वित कृषक	अलाभान्वित कृषक
20	खेत की लम्बाई व चौड़ाई कदमों में	लम्बाई = चौड़ाई =	लम्बाई = चौड़ाई =
21	7 बाकी निकालने पर खेत की लम्बाई कदमों में खेत की चौड़ाई कदमों में	 लम्बाई–7 = चौड़ाई–7 =	 लम्बाई–7 = चौड़ाई–7 =
22	रेण्डम न. का कॉलम जो प्लाट के निर्धारण के लिए दिया गया		
23.	रेण्डम न. के जोडे, जो रद्द करने पडे, यदि कोई हो तो कारण का भी उल्लेख करें		
24	रेण्डम न. का जोड़ा जो प्लाट निर्धारण के लिए अंत में चुना गया		
25	कटाई के लिए निश्चित की गई दिनांक		
26	चयनित खेत में निर्धारित प्लाट दर्शाते हुए मानचित्र (दिशा दर्शाई जाए)		

निरक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम तथा दिनांक

कृषि पर्यवक्षक के हस्ताक्षर
दिनांक

कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर
कृषि विस्तार कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु नमूना सर्वेक्षण प्रपत्र 1.2

I. अभिज्ञान विवरण

1. वर्ष
2. फसल खरीफ/रबी
3. जिन्स का नाम
4. जिला
5. कृषि उप जिला
6. पंचयात समिति
7. सहायक कृषि अधिकारी, मुख्यालय
8. कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय
9. ग्राम पंचायत
10. चयनित राजस्व ग्राम का नाम

II चुने हुए कृषक/खेत का विवरण			**लाभान्वित कृषक**	**अलाभान्वित कृषक**
11	I	कृषक का नाम		
	II	पिता/पति का नाम		
	III	जाति		
	IV	अनु.जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अन्य		
12	होलिडंग का क्षेत्रफल हैक्टर में			
	अ	स्वयं का	1 सिंचित	
			2 असिंचित	
	ब	पट्टे पर ली गई भूमि	1 सिंचित	
			2 असिंचित	
	स	पट्टे पर दी गई भूमि	1 सिंचित	
			2 असिंचित	
	द	योग (अ+ब-स)	1 सिंचित	
			2 असिंचित	
13	होल्डिंग की नाप के आधार पर कृषक का वर्ग (लघु/सीमान्त/अन्य)			
14	चयनित फसल का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			
15	अंत में चुने हुए खेत का खसरा नं. या नाम			
16	चुने हुए खेत में प्रायोगिक जिन्स का क्षेत्रफल(है.)			
17	खेत की लम्बाई (कदमों में)			
	खेत की चौड़ाई (कदमों में)			

18	पिछले वर्ष में बोई गई जिन्स (नाम अंकित करें)		
	खरीफ		
	रबी		
II	प्रभावी बिन्दुओं का अनुसरण		
19	क्या खेत में भूमि उपचार किया गया (हां/नहीं)		
20	(क) क्या खेत में गोबर की खाद/कम्पोस्ट खाद/हरी खाद का उपयोग किया गया		
	(ख) यदि हां, तो मात्रा लिखें (क्वि. में)		
21	(क) क्या बुवाई से पूर्व उर्वरकों का प्रयोग किया गया (हां/नहीं), यदि हॉ तो		
	(ख) उर्वरक का नाम		
	(ग) उर्वरक की कुल मात्रा जो खेत में डाली गई (किग्रा.)		
22	(क) क्या खेत में जिप्सम का उपयोग किया गया (हां या नहीं)		
	(ख) यदि हां, तो मात्रा लिखें (क्वि. में)		
23	(क) क्या वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया गया (हां/नहीं)		
	(ख) यदि हां, तो मात्रा लिखें (किग्रा में)		
24	अधिक उपज वाली/संकर बीजों का का प्रयोग (हां/नहीं), यदि हॉ तो		
	(अ) किस्म का नाम		
	(ब) क्या बीज प्रमाणित था		
	(स) कुल बीज की मात्रा जो खेत में दी गई (किग्रा)		
25	क्या रसायन से बीजोपचार किया गया (हॉ/नहीं)		
26	क्या राईजोबियम/पीएसबी/एजेक्टोबैक्टर कल्चर से बीजोपचार किया गया (हां/नहीं)		
27	फसल बोने की दिनांक		
28	फसल बोने का समय (समय से पहले/समय पर/समय के बाद)		
29	फसल बोने की विधि (छिड़क कर/लाईन में)		
30	क्या बुवाई, सिंचाई (पलेवा) करके की गई (हां/नहीं)		
31	क्या गेंहू में क्राउन रूट स्टेज पर अथवा अन्य जिन्सों में पहली सिंचाई की गई (हां/नहीं)		
32	क्या समय पर निराई–गुडाई की गई(हां/नहीं)		

33	निराई–गुडाई करने की विधि (श्रमिक/पौध संरक्षण रसायन)		
34	(क) खड़ी फसल में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया (हां/नहीं), यदि हां तो		
	(ख) उर्वरक का नाम लिखें		
	(ग) उर्वरक की मात्रा जो खेत में डाली गई		
35	(क) क्या चयनित खेत में सूक्ष्म पोषक तत्व दिये गये (हां/नहीं), यदि हां तो		
	(ख) दी गई कुल मात्रा (किग्रा. में)		
36	(क) क्या खड़ी फसल में आवश्यकतानुसार पौध संरक्षण कार्य किये गये (हॉ/नहीं)		
	(ख) यदि हां, तो रसायन का नाम लिखें		
	(ग) दी गई कुल मात्रा (किग्रा/लीटर)		
37	क्या आईपीएम अवयवों का उपयोग किया गया(हां/नहीं)		
	(अ) क्या फसल सिंचित थी (हां/नहीं)		
	(ब) यदि हां तो सिंचाई का साधन		
	(स) सिंचाई कितनी बार की गई		
	(द) पहली सिंचाई, बुवाई के कितने दिनों बाद की गई लिखें		
IV	फसल कटाई सम्बन्धी विवरण		
38	कटाये गये प्लाट का नाप (मीटर में)		
	(अ) लम्बाई		
	(ब) चौड़ाई		
39	फसल कटाई की दिनांक		
40	अनाज निकालने की दिनांक		
41	प्लाट की गीली उपज का तौल (किग्रा. में)		
	(अ)अनाज का तौल		
	(ब) भुट्टों का तौल		
	(स) फसल की क्षति प्रतिशत में		
42	कपास की चुनाई की तारीख	तौल कि.ग्रा.	तौल कि.ग्रा.
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		

43	सुखाई के लिए रखी गई उपज का तौल (किग्रा में)		
	(अ) अनाज/मूंगफली		
	(ब) ज्वार/बाजरा/मक्का के		
	(1) सिट्टों/भुट्टों का तौल		
	(2) सिट्टों/भुट्टों की संख्या		
44	(अ) सूखे अनाज/मूंगफली का अंतिम तौल		
	(ब) अंतिम तौल लेने की दिनांक		
V	विशेष विवरण		
45	कृषक द्वारा बताई गई समस्याएं जिसके अभाव में अधिक उत्पादन नहीं लिया जा सका (क्रमवार उल्लेख करें)		
46	अधिक उत्पादन लेने हेतु आपके द्वारा दिये पाँच तकनीकी सुझाव		
47	चयनित खेत मे फसल की स्थिति का पूर्ण विवरण		
VI	निरीक्षण अधिकारी का विवरण		
48	सर्वेक्षण में पाई की कमियां		
49	चयनित फसल का उत्पादन बढ़ाने हेतु दिये गये सुझाव		
50	ग्राम की अन्य समस्यायें जिनके समाधान से उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।		

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर
मय नाम एवं पदनाम तथा दिनांक

कृषि पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
दिनांक